



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 781 / फा०स०-499 / एच०ओ०डी० / डी०एस०एम०एन०आर०यू० / 2019-20

दिनांक: 24 जुलाई, 2019

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-28 में व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसा विहित किया जाए"।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा-5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं मा० कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक: 04.07.2019 के कार्यवृत्त पत्रांक: 670/फा०स०-36(पंचम)/कार्य परिषद/2019-20 दिनांक: 06 जुलाई, 2019 के बिन्दु संख्या 3/24 में लिए गये निर्णय के क्रम में डॉ० रजनी रंजन सिंह, आचार्य, शिक्षाशास्त्र को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक शिक्षाशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गई संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने-अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा। इस दायित्व के लिए विभागाध्यक्ष को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. डॉ० रजनी रंजन सिंह, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग।
7. समस्त अधिकारीगण।
8. विश्वविद्यालय की बेवसाइट।
9. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
10. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 770 / फा०सं०-84(द्वितीय) / डा.श.मि.रा.पु.वि. / छात्रावास / 2019-20

दिनांक: 24 जुलाई, 2019

// कार्यालय-ज्ञाप //

विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 802 / फा०सं०-84 (द्वितीय) / छात्रावास / 2018-19, दिनांक: 21 अगस्त, 2018 द्वारा महिला छात्रावास की व्यवस्था सुदृढ, सुगम संचालन तथा अनुशासन बनाये रखने के हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु निम्नानुसार महिला छात्रावास का चीफ प्रोवोस्ट, अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट, प्रोवोस्ट एवं असिस्टेंट प्रोवोस्ट नामित गया था -

डा० शेफाली यादव, प्रोफेसर, विधि	चीफ प्रोवोस्ट
डा० आद्या शक्ति राय, एसोसिएट प्रोफेसर, वी० आई०	अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट
डा० गौरी त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी	प्रोवोस्ट
डा० विजेता दुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि	प्रोवोस्ट
डा० सुधा राव, विशेष शिक्षक, दृष्टि बाधितार्थ	असिस्टेंट प्रोवोस्ट

उक्त के अनुक्रम में मा० कुलपति महोदय द्वारा उक्त वर्णित तालिकानुसार शैक्षणिक सत्र 2019-2020 हेतु नामित शिक्षकवृन्द द्वारा छात्रावास का कार्य सम्पादित किये जाने हेतु कार्यकाल विस्तारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त शिक्षकवृन्द से अपेक्षा है कि महिला छात्रावास का संचालन सुगमता से किया जाना सुनिश्चित करें।

यह कार्यालय-ज्ञाप शैक्षणिक सत्र 2019-2020 हेतु तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- 2- वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
- 3- समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष।
- 4- कुलानुशासक / परीक्षा नियंत्रक।
- 5- अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट / प्रोवोस्ट, पुरुष / महिला छात्रावास।
- 6- सम्बन्धित शिक्षक एवं व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 7- सिस्टम एनालिस्ट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 8- नोटिस बोर्ड / गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव